न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 235/2022
रामोतार मीणा, निवासी ग्रा0पो0 भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं, पिनकोड 333024, मो0न0 9983644723

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।
2. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 20.07.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 235/2022 पर दिनांक 30.06.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं एवं लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं एवं लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं एवं लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/2953–55 दिनांक 30.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/21/925 दिनांक 14.07.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री रामोतार मीणा निवासी भडून्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 06.04.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/128 दिनांक 11.04.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट झुंझुनूं को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट झुंझुनूं ने अपने पत्रांक 1274 दिनांक 09.05.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक 4173 दिनांक 17.11.2021 से तहसीलदार झुंझुनूं को जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तहसीलदार झुंझुनूं ने पत्रांक 2979 दिनांक 01.12.2021 से जांच रिपोर्ट भिजवाई गई। अतः अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई गई है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे इस संबंध मे अपील संख्या 175/2022 दर्ज की जा चुकी जिसका निर्णय दिनांक 09.06.2022 को जारी कर अपील को नियमानुसार खारीज की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक सू0अ0/2022/781 दिनांक 19.07.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री रामोतार मीणा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन किया गया था जो इस कार्यालय मे दिनांक 13.05.2022 को प्राप्त हुआ था। इस कार्यालय के पत्र कमांक राजस्व/आर0टी0आई0/2022/663–664 द्वारा दिनांक 16.05.2022 को आवेदक को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा एक अपील पूर्व में अपील संख्या 175/2022 माननीय न्यायालय जिला कलक्टर कार्यालय मे की जा चुकी है जो दिनांक 09.06.2022 को निर्णित होकर खारिज हो चुकी है। अतः वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मय अपीलार्थी को दिये गये सूचना की प्रति के प्रेषित है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/21/ 925 दिनांक 14.07.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री रामोतार मीणा निवासी भडून्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 06.04.2022 को प्राप्त हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/ 09/128 दिनांक 11.04.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट झुंझुनूं को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट झुंझुनूं ने अपने पत्रांक 1274 दिनांक 09.05.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्रांक 4173 दिनांक 17.11.2021 से तहसीलदार झुंझुनूं को जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तहसीलदार झुंझुनूं ने पत्रांक 2979 दिनांक 01.12.2021 से जांच रिपोर्ट भिजवाई गई। अतः अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई गई है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे इस संबंध मे अपील संख्या 175/2022 दर्ज की जा चुकी जिसका निर्णय दिनांक 09.06.2022 को जारी कर अपील को नियमानुसार खारीज की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक सू0अ0/2022/781 दिनांक 19.07.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री रामोतार मीणा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन किया गया था जो उनके कार्यालय मे दिनांक 13.05.2022 को प्राप्त हुआ था। उनके कार्यालय के पत्र कमांक राजस्व/आर0टी0आई0/2022/663–664 द्वारा दिनांक 16.05.2022 को आवेदक को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा एक अपील पूर्व मे भी अपील संख्या 175/2022 माननीय न्यायालय जिला कलक्टर कार्यालय मे की जा चुकी है जो दिनांक 09.06.202 को निर्णित होकर खारिज हो चुकी है। अतः वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मय अपीलार्थी को दिये गये जबाव की प्रति के प्रेषित है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा जिन प्रार्थना पत्रों के विरूद्व लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं एवं लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व यह अपील पेश की गई है उनके विरूद्व इसी न्यायालय मे अपील सं0 175/2022 मे निर्णय दिनांक 09.06.2022 पारित होकर अपीलार्थी की अपील खारिज की गई है। अपीलार्थी को उक्त आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां करनी थी। अतः अपीलार्थी का यह अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:56 IST
Reason: SelfAttested